संख्याः 477(1)/69–1–98–77 (बजट)/97

प्रेषक,

श्रीमती हेमलता ढौडियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र.,
लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 1998.

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

विषय : राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश के अनुदान की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में केन्द्रांश के रूप में प्राप्त धनराशि रु. 14,48,95,000/- (रु. चौदह करोड़ अड़तालीस लाख पिन्चान्नबे हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त संक्षिप्त मार्ग निर्देशों के आधार पर शासन द्वारा जारी विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार योजना की उल्लिखित उपयोजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय की जायेगी।

2. स्वीकृत की गई धनराशि जनपदों की मांग के अनुसार नियमानुसार स्वीकृत की जायेगी एवं तदनुसार नियमानुसार व्यय की जायेगी।

3. उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण सचिव, नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, उ.प्र. शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ द्वारा सम्यक् देयक प्रपत्र तैयार कराकर चालू वित्तीय वर्ष 1997–98 में अवश्य कर लिया जाए।

4. आहरण की सूचना उपमहालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ.प्र. इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि शीर्षक की सूचना एक माह के भीतर अवश्य भेज दी जाए।

5. इस धनराशि का उपयोग शासनादेश में निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अवश्य कर ली जाए एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित अवधि के बाद अनुउपयोगित/दुरुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

6. निदेशक/सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र.,लखनऊ द्वारा योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

7. चूँकि उक्त व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 1997–98 आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि उपलब्ध नहीं है और प्रश्नगत व्यय नितान्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः उपरोक्त व्यय को पूरा करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय रु. 14,48,95,000/- (रू. चौदह करोड़ अड़तालीस लाख पिचानबे हजार मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक अनुदान के माध्यम से कर ली जायेगी।

8. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

9. उपरोक्त पर होने वाले व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक "8000–राज्य आकस्मिकता निधि" तथा अन्ततः चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित लेखा शीर्षक के नाम डाला जायेगाः–

2217-शहरी विकास-आयोजनागत-80-सामान्य
191-स्थानीय निकायों,निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता-01
केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित
योजनायें

0112-राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम की योजना
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 14,48,95,000.00

योग– **14,48,95,000.00**

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त सचिव

संख्या : ई-6-सी.एफ./230/दस-97, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि एक अतिरिक्त प्रति सहित महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(बी.बी. सिंह)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

संख्याः 477(1)/69-1-98-77 (बजट)/97, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सलाहकार (एच.यू.डी. एण्ड डब्लू.एस.) योजना आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली।
2. निदेशक (यू.पी.ए.) नगरीय रोज़गार और गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, उ.प्र., कमला नेहरू पार्क, इलाहाबाद।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनु.–1
5. वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनु.-6 वित्त (आय-व्ययक)अनु.-2, नियोजन अनु.-4।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रणक, सूडा, उ.प्र., लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा. मंत्री जी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अनु. सचिव